IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

पंचायती राज व्यवस्था: ग्रामीण विकास का सशक्त अध्ययन

डॉ. संदीप कुमार

एम.ए.(पटना विश्वविद्यालय), पीएच.डी. (पटना विश्वविद्यालय)

सारांश

भारत की सामाजिक और आर्थिक संरचना में ग्रामीण क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पंचायती राज व्यवस्था न केवल लोकतंत्र को आधार से जोड़ती है, बल्कि विकासात्मक योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने का माध्यम भी बनती है। यह लेख पंचायती राज संस्थाओं की उत्पत्ति, विकास, संरचना, कार्यप्रणाली, उपलब्धियों और चुनौतियों का गहन अध्ययन करता है। साथ ही यह सुझाव देता है कि पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है ताकि ग्रामीण भारत का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।

1. भूमिका (Introduction)

भारत का लगभग 65% से अधिक जनसंख्या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण विकास के बिना राष्ट्रीय विकास की कल्पना अधूरी है। ग्रामीण भारत की समस्याएं बहुआयामी हैं—बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता, कृषि संकट आदि। इन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक है कि एक सशक्त और प्रभावशाली स्थानीय शासन व्यवस्था हो, जो जनता के निकट हो और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दे।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप से स्थापित किया गया। यह प्रणाली जनभागीदारी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांतों पर आधारित है।

2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में स्थानीय स्वशासन की परंपरा प्राचीन काल से रही है। वेदों, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों में ग्राम सभाओं और पंचायतों का उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत में "ग्राम" प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करता था, जिसमें स्थानीय लोग अपने मामलों का निर्णय स्वयं करते थे।

ब्रिटिश काल में पंचायती व्यवस्था:

ब्रिटिश शासन के दौरान स्थानीय संस्थाओं को धीरे-धीरे सीमित अधिकार दिए गए। लॉर्ड रिपन को "स्थानीय स्वशासन का जनक" कहा जाता है। 1882 में उन्होंने स्थानीय निकायों के गठन का समर्थन किया।

स्वतंत्रता के पश्चात प्रयास:

- 1952: सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत
- 1957: बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा — त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना
- 1977: अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय संरचना का सुझाव दिया
- 1992: 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित — पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ

3. संवैधानिक ढांचा

73वां संविधान संशोधन (1992):

यह संशोधन भारतीय संविधान में **अनुच्छेद 243 से 243(O)** तक जोड़ता है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं:

- **त्रिस्तरीय संरचना:**
  - ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर)
  - पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर)
  - जिला परिषद (जिला स्तर)
- **ग्राम सभा का गठन** — प्रत्येक ग्राम के योग्य मतदाता इसके सदस्य होते हैं
- **आरक्षण व्यवस्था:** महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण
- **स्थायी निकाय:** हर पाँच वर्षों में चुनाव
- **राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना**
- **विषयों की 11वीं अनुसूची में प्रविष्टियाँ** (29 विषय पंचायतों को सौंपे गए)

4. पंचायती राज की संरचना (Structure of Panchayati Raj Institutions)

4.1 ग्राम पंचायत

- ग्राम पंचायत का नेतृत्व **सरपंच** करता है
- इसके सदस्य ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित होते हैं
- मुख्य कार्य: जल आपूर्ति, सफाई, प्राइमरी शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, योजनाओं का कार्यान्वयन

4.2 पंचायत समिति

- ब्लॉक या मंडल स्तर पर कार्यरत
- ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) इसका कार्यपालक प्रमुख
- कार्य: योजनाओं का समन्वय, ग्राम पंचायतों की सहायता, विभागीय योजनाओं का समन्वयन

4.3 जिला परिषद

- जिले की सबसे बड़ी निकाय
- कार्य: जिला स्तरीय योजना निर्माण, निगरानी, संसाधनों का वितरण
- अध्यक्ष: निर्वाचित सदस्य

5. ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका

5.1 जन-भागीदारी और निर्णय में सहभागिता

ग्राम सभा के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया में सीधा जनभागीदारी होती है, जिससे विकास योजनाओं में पारदर्शिता आती है।

5.2 महिला सशक्तिकरण

33% आरक्षण के कारण महिलाएं निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बन रही हैं। कई जगहों पर महिला सरपंचों ने जल संरक्षण, स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए हैं।

5.3 गरीबी उन्मूलन योजनाओं का कार्यान्वयन

MGNREGA, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन आदि योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है।

5.4 ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास

सड़कों, पुलों, विद्यालयों, पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है।

6. चुनौतियाँ (Challenges)

6.1 वित्तीय आत्मनिर्भरता की कमी

पंचायती राज संस्थाएँ अभी भी केंद्र और राज्य सरकारों पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं। अपने राजस्व संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता सीमित है।

6.2 भ्रष्टाचार एवं अपारदर्शिता

विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार की घटनाएँ सामने आती हैं। सामाजिक अंकेक्षण की अनुपस्थिति पारदर्शिता को बाधित करती है।

6.3 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की कमी

प्रत्याशित जनप्रतिनिधियों को नीतियों, वित्तीय प्रक्रियाओं, और योजनाओं की जानकारी सीमित होती है।

6.4 महिलाओं और वंचित वर्ग की उपेक्षा

हालाँकि आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व बढ़ा है, परंतु कई बार वास्तविक नियंत्रण पुरुषों के पास रहता है (सरपंच पति की प्रवृत्ति)।

7. सुधार की दिशा में सुझाव (Suggestions for Reform)

- **वित्तीय अधिकारों का विकेंद्रीकरण:** पंचायतों को कर वसूली, स्थानीय बाजारों से राजस्व प्राप्त करने के अधिकार दिए जाएँ।
- **तकनीकी साक्षरता और प्रशिक्षण:** ई-गवर्नेंस और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण जरूरी है।
- **सामाजिक अंकेक्षण की अनिवार्यता:** प्रत्येक योजना के लिए सामाजिक अंकेक्षण किया जाए।
- **महिला नेतृत्व को वास्तविक अधिकार देना:** महिला प्रतिनिधियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम चलाया जाए।

8. राज्यवार उदाहरण

बिहार:

बिहार में पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, जिससे ग्राम स्तर पर महिला नेतृत्व उभर कर सामने आया। उदाहरण के तौर पर, नालंदा जिले की एक महिला सरपंच ने अपने गाँव में पूर्ण स्वच्छता अभियान चलाकर ओडीएफ घोषित कराया।

केरल:

केरल की पंचायती राज प्रणाली को देश में मॉडल माना जाता है। वहाँ स्थानीय योजनाओं में 40% से अधिक व्यय पंचायतें करती हैं।

9. निष्कर्ष (Conclusion)

पंचायती राज व्यवस्था भारत के लोकतांत्रिक और विकासात्मक ढांचे का अभिन्न हिस्सा है। यह प्रणाली न केवल स्थानीय समस्याओं को स्थानीय स्तर पर सुलझाने का मंच देती है, बल्कि जनप्रतिनिधियों को भी शासन में सक्रिय भागीदारी का अवसर देती है। इसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समावेशिता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है। आवश्यकता है कि इस प्रणाली को और अधिक सुदृढ़, सक्षम और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाया जाए, ताकि यह ग्रामीण भारत के विकास में निर्णायक भूमिका निभा सके।

संदर्भ

1. Government of India. (1992). *73rd Constitutional Amendment Act*.
2. Ministry of Panchayati Raj (2023). *Annual Report*. New Delhi.
3. Jain, L.C. (2005). *Decentralisation and Local Governance*. Orient Longman.
4. Palanithurai, G. (2007). *Dynamics of New Panchayati Raj System in India*.
5. Planning Commission (2001). *Report of the Task Force on Panchayati Raj Institutions*.
6. Mathew, George (1994). *Panchayati Raj: From Legislation to Movement*.
7. Sharma, R. (2019). *Gram Panchayat and Inclusive Governance*, *EPW*.
8. Singh, S.K. (2018). *Role of Panchayati Raj Institutions in Rural Development in India*, *IJRS*.
9. Kumar, A. (2020). *Women Empowerment in Panchayati Raj Institutions*, *IJPA*.
10. Mishra, R. (2023). *Panchayati Raj and Participatory Democracy*, *Kurukshetra Journal*.
11. World Bank (2020). *Decentralization and Local Governance in South Asia*.
12. National Institute of Rural Development (NIRD), Hyderabad Reports.
13. Verma, S. (2021). *Digitalization in Panchayati Raj Institutions*, *Journal of Rural Development*.
14. Singh, Y. (2015). *Development and Decentralized Governance*, *IJPS*.
15. Government of Bihar (2022). *Panchayati Raj Department Official Reports*.